न्यायालय अपील अधिकारण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ.रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

भरण पोषण अधि. अपील संख्या : 02/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– श्रीमती मुन्द्रादेवी पत्नी स्व. गोकुलचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 257, नई लोको गेट के पास, सुभाष चौक, रातानाडा जोधपुर।		1– दीपक शर्मा पुत्र स्व. गोकुलचंद जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 257, नई लोको गेट के पास, सुभाष चौक,रातानाडा जोधपुर। 2– दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. गोकुलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 257, नई लोको गेट के पास, सुभाष चौक, रातानाडा जोधपुर। 3– सुनील कुमार शर्मा पुत्र स्व. गोकुलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 257, नई लोको गेट के पास, सुभाष चौक, रातानाडा जोधपुर। 4– सुशील कुमार शर्मा पुत्र स्व. गोकुलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 257, नई लोको गेट के पास, सुभाष चौक, रातानाडा जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.03.2018 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा भरण पोषण प्रार्थना–पत्र संख्या 06/2017 मुन्द्रादेवी बनाम दीपक शर्मा व अन्य में पारित किया।

निर्णय दिनांक 08.08.2018

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थीपक्ष स्वयं
2– प्रत्यर्थीपक्ष सं0 1, 2 स्वयं

लगातार...

Scanned with CamScanner

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी–श्रीमती मुन्द्रादेवी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 के तहत पेश करते हुए 2500/–रू. 2500/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलाने एवं मकान नं. 257, नई लोको गेट के पास, सुभाष चौक, रातानाडा जोधपुर के तल मंजिल पर उसके रहवास हेतु पर्याप्त एवं उचित ठावं उपलब्ध कराने के लिए अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष पेश हुआ। उपखण्ड अधिकरण जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2018 पारित करते हुए 1000/– 100/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता देने एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय तक प्रार्थीया को तल मंजिल में रहवास के लिए बाधा नहीं करने का आदेश दिया, जिससे से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर (02/2018) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 4 तारीख पेशी 20.06.18 का अजखुद उपस्थित हुए। प्रत्यर्थी–एक की ओर से दिनांक 20.06.18 को जबाब पेश हुआ। आज दिनांक 08.08.18 को अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीपक्ष 1 व 2 अजखुद उपस्थित होने पर बहस सुनी गई।

अपीलार्थीया ने बहस में बतलाया कि उसके 04 चार पुत्र एवं 02 पुत्रियां है। प्रत्यर्थी–एक दीपक कुमार बड़ा पुत्र है जो रेलवे में नौकरी करता है तथा प्रत्यर्थी–दो दिनेश प्राईवेट नौकरी करता है, एक टेक्सी चलाता है तथा एक बैंक में नौकरी करता है। चारों पुत्रो के पास 2–2 कमरे, रसाई, लेटबाथ अलग अलग ठांव बने हुए परन्तु अपीलार्थी के पास अपने रहवास हेतु कोई अलग से ठावं नहीं है। बहस में आगे कहा कि प्रत्यर्थी–1 व 2 मकान के तल मंजिल में रहते है तथा अन्य दो प्रथम मंजिल में रहते है। अपीलार्थी ने बहस में यह भी बतलाया कि वर्तमान में प्रत्यर्थी–2 के साथ निवास करती है। अपीलार्थी बीमार, वृद्धा है अतः अपीलार्थी को भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 2500/– रू., 2500/–रू. एवं रहवास हेतु पर्याप्त ठांव ग्राउण्ड फ्लोर पर उपलब्ध

लगातार...

Scanned with CamScanner

करवाया जाने का आदेश दिया जाय।

प्रत्यर्थीपक्ष–एक दीपक कुमार ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अपने विभाग से ऋण प्राप्त कर विवादग्रस्त रहवासीय मकान का निर्माण करवाया है जिसके दस्तावेज अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके है। यह कथन गलत है कि प्रार्थीया का भरण पोषण अप्रार्थी–एक द्वारा नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी अपनी माता का भरण पोषण एवं सेवा करने के लिए सदैव तत्पर है। बहस में यह भी बतलाया कि अपीलार्थीया/प्रार्थीया को उसके पति की पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही है फिर भी भरण पोषण की मांग कर रही है। बहस में यह भी कहा कि अधीनस्थ अधिकरण में प्रार्थीया को 1000, 1000 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में देने का आदेश दिया गया वो भी गलत है क्योंकि प्रार्थीनी को पति की पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही है। प्रत्यर्थी–1 की वर्तमान में आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है क्योंकि उसके तीन संतान है तथा उनकी उच्च शिक्षा में बड़ा हिस्सा खर्च होता है अतः वो येन प्रकेण अपने परिवार का पालन पोषण एवं पढाई का खर्च उठा रहा है। दौरान बहस उपस्थित प्रत्यर्थी–1, 2 से पूछा गया कि अधीनस्थ अधिकरण के आदेश की अनुपालना में अपीलार्थीया को भरण पोषण की राशि का भुगतान किया जा रहा है या नहीं? तब उत्तर दिया गया कि नहीं किया गया। अपनी बहस के अंत में अपील एवं अधीनस्थ अधिकरण के आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी–2 ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थीया अभी उसके पास रह रही है तथा वह प्राईवेट नौकरी करता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ अधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त मकान के विधिवत विभाजन एवं अन्य अनुतोष के लिए माननीय अति जिला न्यायाधीश, महानगर प्रथम, जोधपुर के समक्ष सिविल वाद विचाराधीन है। अधीनस्थ अधिकरण ने सुनवाई के दौरान सुलह अधिकारी भी नियुक्त किया गया, परन्तु पक्षकारान में सुलह नहीं होना पाया। अपीलार्थीया वर्तमान में प्रत्यर्थी–2 दिनेश कुमार शर्मा के साथ रह रही है तथा वर्तमान में अपीलार्थीया पारिवारिक पेंशन भी प्राप्त कर रही है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीया/प्रार्थीया की आर्थिक

लगातार...

Scanned with CamScanner

स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे भरण पोषण के रूप में चारों पुत्रों से 1000/—रू., 1000/—रू. राशि प्रतिमाह देने एवं सिविल न्यायालय के निर्णय होने तक अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण प्रार्थीया के वर्तमान निवास तल मंजिल में रहवास के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करने के आदेश दिये गये जो न्यायसंगत है तथा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को अपने बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया अतः अपीलार्थी से आग्रह किया जाता है कि भरण पोषण राशि प्राप्त करने के लिए तुरन्त इन्हें बैंक खाता नम्बर उपलब्ध करावे।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ अधिकरण के अपीलीय आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से अपील निरस्त की जाती है, परन्तु अपीलार्थीपक्ष का यह भी कथन है कि उसे प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीगण गाली गलौच या मारपीट करने की धमकियां देते है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के तहत संरक्षण देना आवश्यक समझते है। अतः अति. पुलिस कमीश्नर जोधपुर महानगर (पश्चिम) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के निवास स्थान के संबंधित थानाधिकारी को पाबन्द करें कि पुलिस थाना का कोई प्रतिनिधि, जहां तक संभव हो, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयंसेवक को साथ नियमित अन्तरालों पर, महिने में कम से कम एक बार अपीलार्थी श्रीमती मुन्द्रादेवी से भेंट करें तथा उनके द्वारा सहायता/सुरक्षा के किसी अनुरोध की प्राप्ति पर यथासंभव शीघ्रता से अनुतोष प्रदान करें। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Scanned with CamScanner